राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/ कला उत्सव 2019–20/5292 दिनांक : 30/8 /2019

कला उत्सव सत्र 2019–20 हेतु दिशा–निर्देश

समग्र शिक्षा अंतर्गत सत्र 2019–20 के लिये गत सत्र 2018–19 की भाँति एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार कला उत्सव के रूप में नवाचारी गतिविधि का आयोजन किया जाना है, जिसके लिये वार्षिक योजना में जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन हेतु 12.00 लाख रूपये के बजट का प्रावधान अनुमोदित है।

इस गतिविधि को आयोजित करने के लिये निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

- कला उत्सव 2019 का केन्द्र बिन्दु किसी भी पारम्परिक/शास्त्रीय/लोक/समकालीन कलारूपों, शैलियों सम्बन्धित होगा।
- यह गतिविधि राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विद्यालय/जिला/राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जायेगी।
- कला उत्सव के प्रत्येक स्तर पर चार विधाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा।
- **प्रत्येक कला क्षेत्र की प्रस्तुति/प्रतियोगिता एकल रहेगी, प्रतियोगिता में निम्नलिखित कलारूप सम्मलित किये गये है –**

संगीत (गायन)	**एकल प्रस्तुति**	1 छात्र एवं 1 छात्रा
संगीत (वाद्य वादन)		1 छात्र एवं 1 छात्रा
नृत्य		1 छात्र एवं 1 छात्रा
चित्रकला		1 छात्र एवं 1 छात्रा

- विद्यालय स्तर पर उत्सवों के आयोजन दिनांक 16–21 सितम्बर के मध्य (एक दिवसीय) तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- विद्यालय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूचना दिनांक 30 सितम्बर 2019 तक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को भिजवा दी जायेगी।
- जिला स्तर पर कला उत्सवों का आयोजन दिनांक 7–12 अक्टूबर 2019 के मध्य (एक या दो दिवसीय) किया जायेगा।
- जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ का चयन कर दिनांक 18 अक्टूबर 2019 तक राज्य स्तर पर भिजवाया जायेगा।
- राज्य स्तर पर कला उत्सव का आयोजन 4–8 नवंबर 2019 के मध्य (दो दिवसीय) किया जायेगा। **आयोजन स्थान एवं तिथि के विषय में पृथक से सूचना प्रेषित कर दी जावेगी।** दूरस्थ जिलों के सहभागियों की समय पर पहुंच सुनिश्चित की जावे।
- राज्य स्तर पर कला उत्सव आयोजन कराने के इच्छुक जिला अपने जिले का नाम परिषद को 30 सितम्बर तक भिजवावें।
- राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव का आयोजन माह नवम्बर–दिसम्बर 2019 के मध्य किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधानः–

A. विद्यालय स्तर

- विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के आयोजन का व्यय एस. डी. एम. सी. के माध्यम से जन सहयोग से किया जायेगा।
- विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विधानुसार (छात्र/छात्रा) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को क्रमशः 250 रू., 150 रू. व 100 रू. राशि का पुरस्कार दिया जायेगा।

B. जिला स्तर

- जिला स्तरीय कला उत्सव आयोजित कराने हेतु प्रत्येक जिले को Rs. **25,700** रू. का बजट अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय को आवंटित किया जायेगा। जिसमें से दिये गये प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थाओं पर व्यय किया जायेगा।
- विद्यार्थी संभागियों के आने–जाने का वास्तविक किराया व भोजन–जलपान का व्यय खेलकूद प्रतियोगिताओं के विभागीय प्रावधानों अनुसार विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष से देय होगा।
- संभागियों को आयोजन स्थल तक आने व वापिस जाने हेतु रेलवे व राजस्थान पथ परिवहन निगम से रियायती दरों पर यात्रा की व्यवस्था की जावे। समय पूर्व आरक्षण करवाकर सुविधा का लाभ सुनिश्चित करें।
- शिक्षको के आने–जाने का व्यय विभागीय नियमानुसार विद्यालय से देय होगा।

जिला स्तरीय वित्तीय प्रावधान

क.स.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	पुरस्कार	प्रथम – 2,500 द्वितीय – 2,000 तृतीय – 1,500 **योग – 12,000**
2.	मंच/बैठक, लाईट, माइक व्यवस्था व अन्य	अधिकतम 8,000
3	फोटोग्राफी अभिलेख संधारण	अधिकतम 1,000
4	प्रचार – प्रसार, बैनर	अधिकतम 1,000
5	कन्टिजैन्सी	अधिकतम 1,500
6	Case Study / Best Practice (प्रत्येक जिले से एक विद्यालय)*	अधिकतम 2,200
कुल योग		**25,700**

- ***Case Study / Best Practice** – प्रत्येक जिला प्रधानाचार्य, डाइट कार्यालय के मार्गदर्शन में विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले कला उत्सवों में से किसी एक विद्यालय का आयोजन Case Study / Best Practise के रूप में विकसित करें। Case Study / Best Practice विकसित किये जाने हेतु किसी एक विद्यालय में कला उत्सव कार्यक्रम की उच्च गुणवत्ता की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावें जिसके अन्तर्गत–चारों विधाओं में विजयी विद्यार्थियों (छात्र/छात्रा) के साक्षात्कार, आयोजन दृश्य, समुदाय एवं भामाशाहों की सहभागिता, विद्यालय संस्थाप्रधान/शिक्षकों से चर्चा तथा सफल आयोजन हेतु की गई सम्पूर्ण तैयारियों को शामिल किया जावें। **(विकसित की गई Case Study/Best Practice की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की एक DVD एवं चयनित विद्यालय के कला उत्सव आयोजन की हैण्डबुक बनाकर परिषद् मुख्यालय के गुणवत्ता प्रकोष्ठ को प्रेषित करें।)**
- जिला स्तर पर आयोजन पश्चात् शेष बची राशि राज्य कार्यालय को सूचित करते हुए 7 दिवस में जमा करावें, जिससे उसे राज्य स्तरीय आयोजन में उपयोग किया जा सके।
- जिला स्तर पर आयोजित होने वाले व्यय आवंटित राशि से अधिक होने की स्थिति में भामाशाहों का सहयोग लिया जावे।

C. राज्य स्तर

- **राज्य स्तर पर आयोजन हेतु 2,51,000 /–रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।**
- राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले व्यय आवंटित राशि से अधिक होने की स्थिति में भामाशाहों का सहयोग लिया जावे।

निर्णायक मण्डल

1. विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में 03 सदस्यीय निर्णायक मण्डल में – संस्था प्रधान के अतिरिक्त एक महिला शिक्षक एवं एस.डी.एम.सी. की सहमति से एक कला विशेषज्ञ को शामिल किया जायेगा।
2. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन होगा – जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं कला क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा।
3. राज्य स्तर पर 07 सदस्यीय निर्णायक मण्डल निम्नानुसार रहेगा :–
   - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (आयोजक जिला) अध्यक्ष
   - जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. (आयोजक जिला) सदस्य
   - प्रतिनिधि, RSCERT उदयपुर सदस्य
   - राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ सदस्य (04)
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा की सहमति से सभी प्रतियोगी क्षेत्रों में राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ होंगे।

प्रतियोगिता आयोजन हेतु विशेष निर्देश

संगीत (गायन) :–

- ✓ विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए कि अपने परिवार में चर्चा कर प्राथमिकता से कोई स्थानीय गीत प्रस्तुत करें।
- ✓ गायन प्रतियोगिता में किसी भी मान्य शैली/पद्धति – पारम्परिक/ शास्त्रीय/लोक/समकालीन /गीत गानो का प्रयोग किया जाए जो परिवारों के साथ बैठकर गाए या सुने जा सकें।
- ✓ समय–समय पर उन्हें कक्षा कक्ष एवं प्रार्थना सभा में गाने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उन्हें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं के सामने गाने का अभ्यास मिले।
- ✓ पाठयक्रम में जहां कही भी गायन का अवसर मिले उसका सदुपयोग किया जाए एवं बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को उभारने का अवसर दिया जाए।
- ✓ बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी स्थिति में विद्यालय समय के पश्चात कला का अभ्यास विद्यालय परिसर में नहीं किया जायेगा।

संगीत (वाद्य वादन) :–

- ✓ वाद्य वादन प्रतियोगिता किसी भी मान्य शैली/पद्धति – पारम्परिक/शास्त्रीय/लोक/ समकालीन आदि में हो सकती है।
- ✓ इस श्रेणी में कोई भी भारतीय संगीत वाद्य का वादन किया जा सकता है। (तबला, मृदंगम, सितार, सरोद, बांसुरी, गिटार, वायलन, वीणा, संतूर, सहनाई आदि)

नृत्य :–

- ✓ नृत्य प्रस्तुती किसी भी श्रेणी/प्रकार की पारम्परिक/शास्त्रीय/लोक/समकालीन हो सकती है।
- ✓ नृत्य प्रस्तुती हेतु संगीत लाइव/पहले रिकॉर्ड किया गया हो सकता है।
- ✓ वेशभूषा और मेकअप साधारण, प्रामाणिक, विषयगत और प्रस्तुती के अनुरूप ही होने चाहिये जो परिवार के साथ बैठकर देखे जा सकें।

चित्रकला :–

- ✓ चित्रकला की प्रविष्टि किसी भी शैली–पारम्परिक/आंचलिक, क्षेत्रीय/समकालीन आदि में एवं किसी भी माध्यम – वाटर कलर्स/कृयोन्स/तेलीय रंग/पेंसिल आदि की हो सकती है।
- ✓ मान्य प्रतिभागी से यह अपेक्षित है कि वो प्रतियोगिता स्थल पर ही चित्र बनाये। अपने साथ पूर्व में बनाया गया कोई भी चित्र नही लाये।
- ✓ प्रतियोगिता के दौरान की जाने वाली पेंटिग का आकार 3 फीट X 3 फीट से बडा नही होना चाहिये।

सामान्य दिशा निर्देश –

- ✓ संगीत (गायन), संगीत (वाद्य वादन), नृत्य एवं चित्रकला पर वर्ष पर्यन्त कक्षा शिक्षण एवं अन्य आयोजनों के दौरान कार्य किया जाएगा।
- ✓ संगीत (गायन), संगीत (वाद्य वादन) एवं नृत्य कलाओं की प्रस्तुती के लिए 4–6 मिनट का समय निर्धारित रहेगा जिसमे प्रस्तुती की तैयारी, आने–जाने हेतु 5 मिनट अतिरिक्त दी जायेंगी।
- ✓ विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए यथासंभव जन सहयोग लिया जाए तथा भामाशाहों से संपर्क किया जाए।
- ✓ प्रत्येक स्तर पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सहभागिता का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा। चयनित टीम को पुरस्कार राशि के साथ विद्यालय हेतु प्रतीक चिन्ह्न भी दिया जाएगा।
- ✓ जिला स्तरीय आयोजन में चारों विधाओं के विजेता विद्यार्थी संभागियों (छात्र/छात्रा) द्वारा राज्य स्तरीय आयोजन में सहभागिता सुनिश्चित हेतु समय पर रियायती यात्रा सुविधा की व्यवस्था की जावे।
- ✓ राज्य स्तरीय आयोजन में चारों विधाओं के विजेता विद्यार्थी संभागियों (छात्र/छात्रा) द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव में सहभागिता हेतु रियायती यात्रा एवं आरक्षण की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/ कला उत्सव 2019–20/5292 दिनांक : 30/8 /2019

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
8. उपनिदेशक, शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि कला उत्सव सत्र 2019–20 के दिशा–निर्देश पोर्टल पर अपलोड कराये।
9. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), समस्त।
10. कार्यालय प्रति।

(एम.आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम